भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1348

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

बैंकों में दावारहित मुद्रा/जमाराशियां

1348. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), निजी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पास जमा दावारहित मुद्रा/जमा राशि का बैंक-वार, एनबीएफसी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बैंकों द्वारा ऐसी दावारहित जमाराशियों की पहचान करने और उन्हें खाताधारक अथवा नामिती अथवा कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उद्गम पोर्टल की प्रभावकारिता कितनी है और इस पोर्टल के माध्यम से कुल कितनी राशि लौटाई गई है; और

(घ) एक समयावधि के बाद ऐसी दावारहित निधि के उपयोग हेतु क्या प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना (योजना), 2014, अदावी जमाराशियों से संबंधित मानदंडों को अभिशासित करती है और अन्य *बातों के साथ-साथ,* जमाकर्ताओं के हितों और आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य प्रयोजनों के संवर्धन सहित निधि के उपयोग के ब्यौरे की रूपरेखा तैयार करती है। बचत और चालू खातों में शेष राशियां, जो दस वर्ष तक निष्क्रिय रहती हैं, या परिपक्वता की तारीख से दस वर्ष के भीतर दावा नहीं की गई मीयादी जमाराशियों को सावधि जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित कर दिया जाता है। गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) से यह अपेक्षित नहीं है कि वे अदावी जमाराशियों को डीईए निधि में अंतरित करें। इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.6.2025 की स्थिति के अनुसार डीईए निधि में हस्तांतरित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की अदावी जमा राशि का विवरण अनुबंध में दिया गया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी राज्य-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग): भारतीय रिजर्व बैंक ने खाताधारक या नामिती या कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी अदावी जमाराशियों को पुनः प्राप्त करने में ऐसी अदावी जमाराशियों की पहचान करने और उन्हें वापस करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और बैंकों को, अन्य *बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित की सलाह दी है:-

(i) वैसी अदावी जमाराशियों की सूची प्रदर्शित करना जो बैंक की वेबसाइटों पर दस वर्ष या उससे अधिक समय से असक्रिय/अपरिचालनीय रही हैं;

(ii) सही दावेदारों को दावा न की गई जमाराशियों को वापस करने के लिए ग्राहकों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाएं;

(iii) शिकायतों के शीघ्र समाधान, रिकार्ड रखने और अदावी जमा खातों की आवधिक समीक्षा के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

(iv)अदावी जमाराशियों के वर्गीकरण पर नीति तैयार करना।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस योजना के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए प्रिंट, रेडियो और डिजिटल मीडिया के माध्यम से कई जन जागरूकता अभियान चलाए हैं। अदावी जमाराशियों की पहुंच बढ़ाने और खोज प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आरबीआई ने जनता के लिए केंद्रीकृत वेब पोर्टल उदगम (अदावी जमा-सूचना तक पहुँचने का मार्ग) शुरू किया है। दिनांक 1.7.2025 की स्थिति के अनुसार, 8,59,683 उपयोगकर्ताओं ने पोर्टल पर पंजीकरण और एक्सेस किया। उक्त पोर्टल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को केंद्रीकृत तरीके से एक ही स्थान पर कई बैंकों में अदावी जमा/राशियों की खोज करने की सुविधा प्रदान करता है।

(घ): अदावी निधि के उपयोग के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना (योजना), 2014 के प्रावधानों के अनुसार, योजना के अनुसार निधि की व्यवस्था और उसके प्रबंधन के लिए एक समिति होगी। निधि का उपयोग जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हो सकते हैं जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

****

अनुबंध

"बैंकों में अदावी राशि/जमा" के संबंध में दिनांक 28.7.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1348, के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 30.6.2025 की स्थिति के अनुसार जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि बैंक-वार शेषराशियां - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

क्र.सं.	**बैंक का नाम**	**कुल राशि करोड़ रुपये में**
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	5,277.36
2	बैंक ऑफ इंडिया	3,933.88
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,134.81
4	केनरा बैंक	6,278.14
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2,091.94
6	इंडियन बैंक	3,739.82
7	इंडियन ओवरसीज बैंक	2,385.78
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	831.46
9	पंजाब नेशनल बैंक	6,910.67
10	यूको बैंक	1,311.99
11	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	5,104.50
12	भारतीय स्टेट बैंक	19,329.92
कुल		58,330.26

**स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक*

दिनांक 30.6.2025 की स्थिति के अनुसार जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि बैंक-वार शेष राशियां – निजी क्षेत्र के बैंक

क्र.सं.	**बैंक का नाम**	**कुल राशि करोड़ रुपये में**
1	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	589.77
2	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	87.75
3	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	131.23
4	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	101.09
5	फेडरल बैंक लिमिटेड	347.72
6	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	363.21
7	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	329.83
8	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	258.04
9	नैनीताल बैंक लिमिटेड	43.39
10	रत्नाकर बैंक लिमिटेड	54.33
11	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	283.05
12	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	162.69
13	एक्सिस बैंक लिमिटेड	1,360.16
14	डीसीबी बैंक लिमिटेड	91.87
15	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड.	1,609.56
16	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	2,063.45
17	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	185.07
18	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	558.72
19	यस बैंक लिमिटेड	52.31
20	आईडीएफसी बैंक लिमिटेड	0.00
21	बंधन बैंक लिमिटेड	0.47
कुल		**8,673.72**

**स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक*